ग.

कार्यालय संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
ब्लॉक–2, तृतीय तल
इंद्रावती भवन, अटल नगर

क्रमांक– 37 / खाद्य–संचा / 2020 अटल नगर, दिनांक 20/4/2020

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः– **सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत माह अप्रैल, 2020 में चना का अतिरिक्त आबंटन के संबंध में।**

संदर्भः– विभाग का पत्र क्रमांक एफ 4–9 / 2014 / 29–1 दिनांक 14.04.2020

कृपया विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू किये गये राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के संदर्भ में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रचलित राशनकार्डों में तथा राज्य शासन के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डो (एपीएल श्रेणी को छोड़कर) में 01 किलो चना माह अप्रैल से जून, 2020 तक निःशुल्क प्रदाय किया जावेगा। उपरोक्त संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जावे –

1. माह अप्रैल, 2020 के लिए उपरोक्त राशनकार्डों में 01 किलो चना प्रति राशनकार्ड का आबंटन जारी किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा क्षेत्र के अन्त्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारियों के लिए पूर्व में मासिक पात्रतानुसार चने का आबंटन जारी किया जा चुका है।

2. अन्त्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, अन्नपूर्णा एवं निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को माह अप्रैल, 2020 में 01 किलोग्राम चना निःशुल्क वितरण किया जावेगा।

   उपरोक्त संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित विकासखण्डों एवं माडा क्षेत्रों में प्रदाय किये जा रहे चने की पात्रता के अंतर्गत 01 किलोग्राम चना निःशुल्क तथा 01 किलोग्राम चना 05 रूपये प्रति किलो उपभोक्ता दर पर प्रदाय किया जायेगा। उपरोक्त परिस्थितियों में किसी भी राशनकार्डधारक को प्रदाय किये जाने वाले चने की पात्रता 02 किलोग्राम प्रति कार्ड प्रतिमाह से अधिक नहीं होगी।

3. अनुसूचित विकासखण्डों एवं माडा क्षेत्रों के अन्त्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के जिन राशनकार्डधारियों को माह अप्रैल, 2020 का चना वितरण किया जा चुका है, उन्हें पुनः वितरण न किया जावे। जिन हितग्राहियों से माह अप्रैल, 2020 में वितरित 02 किलो चने का उपभोक्ता मूल्य 05 रूपये प्रति किलो की दर से लिया जा चुका है, उनसे माह मई, 2020 में 02 किलो चने का उपभोक्ता मूल्य न लिया जावे।

4. राशनकार्डधारियों को माह अप्रैल, 2020 में चने के अतिरिक्त आबंटन एवं वितरण की जानकारी ग्राम पंचायतों में मुनादी कराकर तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जावे।

5. जिले के सभी उचित मूल्य दुकान संचालकों को माह अप्रैल, 2020 में बिन्दु क्र. 02 में निर्देशानुसार चना का वितरण राशनकार्डधारियों को करने हेतु निर्देशित किया जावे। उचित मूल्य दुकान संचालकों द्वारा चना का दुरुपयोग किये जाने अथवा शासन के निर्देशों की अवहेलना किये जाने पर उनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के प्रावधानों के अनुसार कड़ी कार्यवाही किया जावे।

6. माह अप्रैल, 2020 में चने के अतिरिक्त आबंटन का वितरण उचित मूल्य दुकानों में प्रारंभ करने हेतु संचालनालय द्वारा पृथक से सूचित किया जायेगा।

अतः जिले के सभी उचित मूल्य दुकानों में अप्रैल, 2020 के चने का भण्डारण सुनिश्चित कराकर निर्देशानुसार समुचित कार्यवाही किया जावे।

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
आयुक्त
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर.
संचालनालय, अटल नग
अटल नगर, दिनांक 20/4/2020

पृ. क्रमांक– 38 /खाद्य–संचा/2020
प्रतिलिपि–

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
2. विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़।
4. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, अटल नगर।
5. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
6. प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक, रायपुर।
7. समस्त खाद्य नियंत्रक/खाद्य अधिकारी, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप. संर
संचालनालय, अटल नगर